

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4221

गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के समक्ष आ रही समस्याएं

4221. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या अगले तीन से पांच वर्षों में पनविद्युत सहित नवीकरणीय ऊर्जा का समेकन चिन्ता का विषय नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र कुछ मामलों में भुगतान के मामलों के लम्बित रहने, नीतिगत अवरोधों और विनियामक चिन्ताओं जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) पर पुनः बातचीत ने प्रशुल्क में कटौती नहीं की है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (च) नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

- (क) जी हां। ग्रिड में अक्षय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी को एकीकृत करने के लिए कई नीति परक और नियामक उपाय किये गये हैं। इनमें पारंपरिक उत्पादन परियोजनाओं का लचीला संचालन, अक्षय ऊर्जा का पूर्वानुमान और समय निर्धारण, हरित ऊर्जा कॉरिडोर की स्थापना और अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना शामिल है।

- (ख) और (ग): कुछ वितरण कंपनियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को भुगतान में विलंब और कुछ राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त प्रशुल्क को अपनाने में विलंब अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं।

- (घ) और (ङ): वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) के निर्देशानुसार अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिये बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) की बातचीत से प्रशुल्क (टैरिफ) में कमी आई। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त दरें यूपीईआरसी को अत्यधिक लगी।

भारत सरकार को ऐसे किसी अन्य मामले की सूचना नहीं है, जहां अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली के खरीदारों और विक्रेताओं के बीच पीपीए पर बातचीत करके प्रशुल्क में कमी की गई हो।

- (च) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित उपायों के अलावा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान के लिए किये गये अन्य उपायों में शामिल हैं: (क) सौर और पवन विद्युत परियोजनाओं के लिये पारदर्शी प्रशुल्क आधारित बोली लगाने के लिये दिशानिर्देश (ख) भुगतान सुरक्षा तंत्र का सृजन (ग) इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रभागों और हानियों को समाप्त करना (घ) सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणाली/उपकरणों की संस्थापना के लिये मानकों को अधिसूचित करना।
